न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 572/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. प्रकाशचन्द्र पुत्र सोनराज 2. नवरतनमल पुत्र सोनराज 3. राधेश्याम पुत्र सोनराज 4. पिस्ता पुत्री सोनराज सभी जातियान ब्राहमण, निवासी गण– कलाउना तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।		1. बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र के कायम मुकामः– 1.1 श्रीमति भंवरीदेवी पत्नी बाबूलाल 1.2 माणकलाल पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गजानन्द कॉलोनी गायत्री सदन के सामने सूथला चौपासनी रोड़ जोधपुर। 2. फूसाराम पुत्र रामचन्द्र 3. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र 4. लालचन्द पुत्र रामचन्द्र 5. सुगनचन्द पुत्र रामचन्द्र 6. छोटाराम पुत्र सिरदाराम के का.मु. 6.1 रमेश पुत्र छोटराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कालाउना तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर। 6.2 पुष्पा पुत्री छोटाराम पत्नी रामभरोसेलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी जगदीश साउण्ड गोपालजी का मौहल्ला ब्यावर जिला अजमेर 6.3 गजरा पत्री छोटाराम पत्नी मांगीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पोस्ट उदलियावास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 6.4 चंचल पुत्री छोटाराम पत्नी हेमंत कुमार व्यास 133 'अ' घरवाला जाव मण्डिया रोड़ पाली 7. मोतीराम पुत्र सिरदाराराम 8. खेमचन्द पुत्र ढगलाराम 9. लक्ष्मीनारायण पुत्र ढगलाराम 10. तेजराज पुत्र ढगलाराम 11. द्वारकादास पुत्र हापुराम 12. गुदड़राम पुत्र अन्नराज के का.मु. 12.1 अजोध्यादेवी पत्नी गुदड़राम 12.2 सन्तोष पुत्री गुदडराम 12.3 राजेन्द्र पुत्र गुदडराम 12.4 सम्पतराज गौड़ पुत्र गुदडराम निवासी कालाउना तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 13. घीसाराम पुत्र अन्नराज 14. हंसराज पुत्र नैनाराम 15. शिवराज पुत्र नैनाराम 16. भगवानदास पुत्र नैनाराम के का. मु 16.1 जनार्दनलाल पुत्र भगवानदास 16.2 जयनारायण पुत्र भगवानदास 16.2.1 श्रीमति सुमन पत्नी जयनारायण 16.2.2 विकास शर्मा पुत्र जयनारायण 16.2.3 राहुल शर्मा पुत्र जयनारायण 16.2.4 रोशनी शर्मा पुत्री जयनारायण 16.2.5 वन्दना शर्मा पुत्री जयनारायण 16.3 हरिशचन्द्र पुत्र भगवानदास 16.4 शारदा पुत्री भगवानदास के का.मु 16.4.1 सुभाष पुत्र जगदीश

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

		16.4.2 मुंजु पुत्री जगदीश ब्राहम्ण निवासी हिसार हरियाणा 16.4.3 मधु पुत्री जगदीश ब्राहम्ण निवासी बिकानेर 17 नाथी पत्नी सोहनलाल के का.मु. 17.1 बुद्वाराम पुत्र सोहनलाल 17.2 सुरेश पुत्र सोहनलाल निवासीगण मकान न0 156, प्रतापनगर द्वितीय देवली अरब रोड़ बोरखेड़ा कोटा 17.3 शारदा पुत्री सोहनलाल इन्दोरिया पत्नी सोहनलाल व्यास(ब्राहम्ण) निवासी टेवाली वाया सोमेसर तहसील व जिला पाली 18 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरूद्ध नामान्तकरण संख्या 2039 तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा दिनांक 05.06.2014 को पारित किया।

उपस्थितिः—

1— श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से ।

2— श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1, 7,9,11,12 की ओर से।

3— श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 17/1,17/2 की ओर से।

4— श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 18 की ओर से।

5— शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद तामीली/सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांकः 24 जुलाई, 2023

प्रस्तुत अपील प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस् के पिता सोनराज उर्फ सोहनलाल ने विचारण न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कालाउना तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर में अ,ब,स तीन कृषि भूमि स्थित है। जिसमें जावता वल्द पाबूदान का 1/4 हिस्सा इसी प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 से 11 का 1/4 रेस्पो0 संख्या 12 से 13 का 1/4 रेस्पो0 संख्या 14 से 16 का 1/4 हक हिस्सा वक्त सेटलमेंट से पक्षकारान् के पूर्वजों का दर्ज था। इसी प्रकार सम्पति सं0 ''ब'' में जावता वल्द पाबूदान का 1/4 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 1 से 5 का 1/4 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 6 से 7 का 1/4 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 12 व 13 का 1/4 हिस्सा तथा सम्पति सं0 ''स'' में जावता वल्द पाबूदान का 1/2 हिस्सा एवं रेस्पो0 संख्या 12 व 13 का 1/2 हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अपीलांटस के पिता ने वाद पत्र में उल्लेख किया कि जावताराम पुत्र पाबूदान के कोई जायंदा पुत्र नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के पिता को सम्वत् 2033 जेठबद्व सातम को रीति—रिवाज के अनुसार गोद लिया एवं गोदनामा की लिखत लिखी उसके पश्चात् अपीलांटस् के पिता अपने गोद पिता जावताराम के साथ ही गोद पुत्र की हैसियत से रहना शुरू कर दिया। अपीलांटस् के पिता ने गोदनामा की प्रति प्रस्तुत की। इसके पश्चात् दिनांक 22.02.1985 को जावताराम ने अपीलांटस् के पिता के पक्ष में उपरोक्त सम्पूर्ण खसरा रकबा की कृषि भूमि का सम्पूर्ण वसीयतनामा अपीलांटस के पिता के पक्ष में कर दिया अपीलांटस् के पिता ने वाद पत्र के साथ वसीयत की नकल प्रस्तुत की

संभागीय आयुक्त

जावताराम का देहांत सन् 1986 को हो चुका है। जावताराम की चल अचल सम्पति में अपीलांटस् के पिता का सम्वत 2033 से गोदपुत्र की हैसियत से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उसके पश्चात जावताराम की समस्त चल अचल सम्पति एवं उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में जावताराम के हिस्से की भूमि का हकदार हो गया एवं एकमात्र वारिस की हैसियत से भूमि पर काबिज हो गये। अपीलांटस् के पिता का देहांत होने के पश्चात अपीलांटस् जावताराम की समस्त चल अचल सम्पति पर काबिज है एव उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर काश्त करते आ रहे है। जावताराम के एकमात्र जांयदा पुत्री रेस्पो0 संख्या 17 श्रीमति नाथी हुयी थी। जिसका विवाह ग्राम बलाड़ तहसील जैतारण, जिला पाली में सोनराज ब्राहम्ण (इन्दोरिया) के साथ करीब 50–55 वर्ष पूर्व हुआ था रेस्पो0 संख्या 17 श्रीमति नाथी अपनी शादी के बाद ससुराल में अपने परिवार के साथ निवास करना शुरू कर दिया वादग्रस्त भूमि पर रेस्पो0 संख्या 17 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। जावताराम ने अपने जीवनकाल में वसीयत कर दी इस कारण से जांतवाराम की पुत्री नाथी को कोई हक हिस्सा प्राप्त नही होगा। वादग्रस्त आराजी में नाथी का हक नहीं होने के कारण नाथी को भूमि का बेचान करने का विधिक अधिकार नहीं है। श्रीमती नाथी ने कभी भी वसीयतनामा को चुनौती नहीं दी है।

अपीलांटस के पिता ने उक्त वाद पत्र में निवेदन किया कि वाद पत्र के पद सं0 2 में वर्णित कृषि भूमि अ,ब,स में जावताराम की जगह अपीलांट्स के पिता को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 17 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वादी के हिस्से से बेदखल नहीं करें न ही कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी करे न ही किसी अन्य से करावे। वाद दर्ज रजिस्टर करते हुए रेस्पो0 को नोटिस जारी किये जिस पर उनकी समुचित तामील हो गई। दिनांक 27.2.2002 को 1 स 7 व 10 के विरूद्ध तथा 25.5.2002 को रेस्पो0 संख्या 8,9,11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पो0 संख्या 12 व 13 व 17 की ओर से जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। रेस्पो0 संख्या 17 ने जवाबदावा में पक्षकारान के हक हिस्से में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं किया। तथा उल्लेख किया कि जावताराम ने वादी को कभी गोद नहीं लिया व न ही वादी के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया। विचारण न्यायालय ने पक्षकारान के अभिवचनों पर तनकियात कायम किये तथा बयान कलमबद्ध करवाये गये। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी की बहस सुनी तथा लिखित में बहस प्रस्तुत की। रेस्पो0 नाथी ने मौखिक या लिखित बहस नहीं की परु मिसल बन्दोबस्त की नकल व न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किये। वाद के विचारधीन रहते हुए अपीलांट्स के पिता का देहांत हो जाने के कारण अपीलांट्स को वाद में बातौर वादीगण प्रतिस्थापित किया गया। माननीय विचारण न्यायालय ने पक्षकारान् के साक्ष्य सबूत पेश होने के पश्चात् वादी का वाद दिनांक 19.05.2014 को निरस्त कर दिया एवं प्राथमिक डिक्री की पालना में "वादीगण तथा प्रतिवादीगण के मध्य हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ट्स का प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेशित किया गया। तहसीलदार बिलाडा को यह भी निर्देश दिया गया कि राजस्थान टीनेंन्सी एक्ट नियमों के प्रावधानों के तहत विभाजन प्रस्ताव बनाकर भिजवायें।" हल्का पटवारी कलाउना

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

एवं भू–अभिलेख निरीक्षक वृत पिचियाक द्वारा प्रस्तावित बंटवाडा का नक्शा बनाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने प्रस्तावित बंटवाडा पर सुनवाई किये बिना ही आदेश एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.06.2014 को पारित कर दी। जिसके आधार पर नामा संख्या 2039 दिनांक 5.6.2014 को स्वीकार किया। रेस्पो0 संख्या 17 ने दिनाक 6.6.2014 को ही अपना हक–हिस्सा बताते हुए बेचान कर दिया जिस बेचान के आधार पर नामा0 संख्या 2099 दिनांक 21.11.2014 को स्वीकार किया गया। इसके बाद अपीलांटस को यह जानकारी हुई कि रेस्पो0 संख्या 18 तहसीलदार ने विधि विरूद्व तरीके से अपीलांटस की सुनवायी का अवसर दिये बिना ही आनन फानन में नामा0 सं0 2039 दिनांक 05.06.2014 को पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील पेश की है।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई एवं दौरान सुनवाई उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी निवेदन किया कि अपीलांटस की ओर से विचारण न्यायालय सहायक जिलाधीश बिलाड़ा के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक पिचियाक द्वारा अपीलांटस की गैर मौजूदगी में आनन फानन मे मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है। अपीलांटस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.05.2014 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 02.06.2014 के विरूद्व अपील व रिव्यू प्रार्थना पत्र विचाराधीन है जिसकी जानकारी तहसीलदार बिलाडा को भलीभांति थी। यहां पर उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष विचाराधीन अपील एवं सहायक जिलाधीश बिलाड़ा के समक्ष विचाराधीन रिव्यू प्रार्थना पत्र में तहसीलदार स्वयं पक्षकार थे।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का यह पर कर्तव्य था कि अपीलांटस को सुनवायी का पूर्ण अवसर देने के पश्चात् ही नामान्तकरण पर किसी प्रकार का आदेश पारित करें। वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पो0 सं0 17 श्रीमति नाथी देवी का कब्जा काश्त नहीं है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जा काश्त की जांच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रत्यर्थीगण से साठ–गांठ कर आनन–फानन में अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2014 को अन्तिम डिक्री जारी की गयी एवं अगले ही दिन दिनांक 03.06.2014 को हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण में प्रविष्टी की गयी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक पिचियाक द्वारा अंकन सही होने की प्रविष्टि की गयी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2014 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने जल्दबाजी में कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि विचारण न्यायालय के प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तावित बंटवाड़ा तैयार करते समय अपीलांटस को सूचित

स्थानीय आयुक्त

तक नहीं किया एवं मौके पर हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक को प्रस्तावित बंटवाडा तैयार करने का कोई कानूनी आधिकार नहीं होते हुए भी प्रस्तावित बंटवाडा तैयार किया है। इस प्रकार से हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक पिचियाक द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रस्तावित बंटवाडा तैयार किया है। अपीलांटस को प्रस्तावित बंटवाडा पर किसी प्रकार की सुनवायी का अवसर नही दिया गया है। विचारण न्यायालय सहायक जिलाधीश बिलाडा ने प्रस्तावित बंटवाडेको अन्तिम डिक्री का अंग शुमार किया गया है। इस कारण से सहायक जिलाधीश बिलाडा की अन्तिम डिक्री आदेश दिनांक 02.06.2014 विधिक प्रावधानों के विपरित है। यदि कोई विधिक प्रावधानों के विपरित आदेश पारित किया जाता है तो ऐसे आदेश की विधि में कोई मान्यता नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्व आदेश के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि सहायक कलेक्टर न्यायालय, बिलाडा के द्वारा निर्णय/डिक्री के विरूद्व अपीलान्ट ने दिनांक 28.5.2014 को अपील प्रस्तुत की गई। जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्टस को थी तथाकथित बेचान दस्तावेज न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहते हुए हुआ है इस कारण से बेचान दस्तावेज का विधि में कोई मान्यता नहीं है एवं नामा0 भी विधि विरूद्व पारित होने से शून्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत की उक्त अपील को अपने आदेश दिनांक 18.11.2019 को स्वीकार करते हुए सहायक कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 19.5.2014 एवं दिनांक 02.06.2014 को निरस्त कर दिया गया है। नामा0 संख्या 2039 दिनांक 5.6.2014 विचारण न्यायालय के निर्णय डिक्री की पालना में स्वीकृत किया गया था ऐसे में पारित डिक्री व निर्णय अब प्रभाव में नहीं है, इस कारण से नामा0 संख्या 2039 दिनांक 5.6.2014 प्रभावहीन हो चुका है तथा नामा0 संख्या 2099 दिनांक 21.11.2014 भी प्रभावहीन हो चुका है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तकरण सं0 2099 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित अधिवक्तागणों ने यह कथन किया कि ग्राम कालाउना में कुल 97.10 बीघा भूमि आई हुई है। अन्ना, जावंता पिता पाबूदान खातेदार थे। अन्ना का पुत्र सोनराज है और सोनराज अपने को जावंता के गोद जाना बता रहा है। रेस्पोडेन्ट नाथीदेवी जावंता की उत्तराधिकारी होने का दावा सहायक कलेक्टर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार किया गया। तत्पश्चात उक्त आदेश के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष अपील हुई तथा स्थगन आदेश को वेकेट किया गया। उक्त अपील के विचाराधीन रहते हुए नाथीदेवी के द्वारा गिरधारीसिंह, अमित वगैराह व्यक्तियों को भूमि का बेचान कर दिया गया। श्री गिरधारीसिंह की दौरान सुनवाई मृत्यु हो जाने से उनके उत्तराधिकारियान को रेकर्ड पर नहीं लिया गया था। ऐसे में अपीलान्ट की अपील जरिये एबेटमेन्ट खारिज किये जाने योग्य है।

रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि हम पक्षकारान के मध्य उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के समक्ष धारा 144 का प्रार्थना पत्र लम्बित चल रहा है।

इसके अतिरिक्त सोनराज ने अपने को जावंता का गोदपुत्र बता रहा है। श्रीमती नाथी के द्वारा किये गये बेचान के फलस्वरूप बेचान दस्तावेज के आधार पर अपीलाधीन नामा0 संख्या 2099 वर्ष 2014 में स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त नामा0 संख्या 2039 जो कि सहायक कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित डिक्री निर्णय के अनुसरण में स्वीकृत किया गया था जिन्हें स्वीकृत करने में स्वीकृतकर्ता अधिकारी की किसी प्रकार की कोई बेदनियती अथवा पक्षपात किया गया है, नामान्तरकरण को स्वीकृत करने में न्यायालय के निर्णय तथा पंजीकृत बेचान दस्तावेज के परिप्रेक्ष्य में विधि अनुसार कार्यवाही की गई है। सहायक कलेक्टर न्यायालय के निर्णय/डिक्री की चाराजोही हेतु सक्षम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष कार्यवाही सम्पादित की गई है। ऐसे में तत्समय में स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 2039 एवं नामा0 संख्या 2099 में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं हुई है जिन्हें अपीलान्टस की ओर से इस अपील में दर्शाये गये तथ्यों के आधार पर निरस्त किया जा सकें। अतः अपीलान्ट अपील अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावें।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि हस्तगत अपील नामान्तरकरण संख्या 2039 दिनांक 5.6.2014 के विरूद्ध पेश की गई है। नामा0 संख्या 2039 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा न्यायालय के द्वारा राजस्व वाद संख्या 4/2002 अनवान सोनराज बनाम बाबूलाल में पारित अंतिम बंटवाडा डिक्री दिनांक 2.6.2014 की पालना में भरा गया है। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा न्यायालय के द्वारा राजस्व वाद संख्या 4/2002 की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त अपील दिनांक 18.11.2019 को निर्णित कर दी गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जब नामान्तरकरण का मूल कारण/ हैतुक ही सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त/सारविहिन निर्णित कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में नामान्तरकरण संख्या 2039 दिनांक 5.6.2014 व नामान्तरकरण संख्या 2099 दिनांक 21.11.2014 का विधिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है एवं नामान्तरकरण संख्या 2039 दिनांक 05.06.2014 को अपास्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 24 जुलाई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर